न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

रिब्यू प्रार्थना पत्र संख्याः— 12/11 (RCMS No.2011/00049) बाबत् न्यायालय हाजा की अपील सं0 82/09 अन्तर्गत धारा 97 (क) (2) पंचायती राज अधिनियम

हरगुन पुत्र हीरा लाल जाति अहीर निवासी झारोली तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. जिलेदार सिंह पुत्र सुगन राम जाति अहीर निवासी झारोली तहसील व जिला भरतपुर
2. ग्राम पंचायत झारोली तहसील व जिला भरतपुर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर

..... रैस्पो0

रिब्यू प्रार्थना पत्र विरूद्ध निर्णय संभागीय आयुक्त भरतपुर दिनांक 14.09.2011

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री गोविन्द सिंह वकील रैस्पो0

नि र्ण यदिनांकः—17.07.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह रिब्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की अपील संख्या 82/09 अन्तर्गत धारा 97 (क) (2) पंचायतीराज अधिनियम के निर्णयदिनांक14.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी हरगुन पुत्र हीरा लाल जाति अहीर ने एक अपील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के निर्णय दिनांक 05.03.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में इस आशय की पेश की थी कि रैस्पो0/अप्रार्थी जिलेदार ने ग्राम पंचायत झारौली पंचायत समिति सेवर के समक्ष मकान निर्माण की मंजूरी के लिये एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। सरपंच ग्राम पंचायत ने बार्ड पंचों की रिपोर्ट पर मकान तामीर करने की स्वीकृति जारी की थी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट हरगुन ने प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति सेवर में अपील पेश की थी।

प्रशासन स्थाई समिति, पंचायत समिति सेवर ने मौका रिपोर्ट लेकर अपने निर्णय दिनांक 14.07.2004 से ग्राम पंचायत के निर्णय में संशोधन कर आदेश पारित कर दिये। इस आदेश के विरूद्ध जिलेदार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालयमें निगरानी पेशकी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने निर्णयदिनांक 05.10.2006 से न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही होने से निगरानी खारिज कर दी तथाआदेश दियाकि प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतन्त्र है। जिलेदार सिंह ने उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 05.03.2007 में यह माना कि प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति सेवर द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2001 को आधार मानकर निर्णय पारित कियाहै जबकि दिनांक 04.06.2001 के बाद भी आदेशिकाओं में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिये गये है। इसलिये उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय को संदेहास्पद मानते हुऐ प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति सेवर के निर्णय दिनांक 14.07.2004 को वैधानिक नही मानते हुऐ उक्त निर्णय निरस्त करदिया। इसआदेश के विरूद्ध हरगुन ने इस न्यायालय में अपील पेश की थी। न्यायालय हाजा ने उभय पक्ष को सुनकर यह मानाकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 55, 55क, 56, 57 एवं 58 में पंचायत समिति, जिला परिषद की साधारण शक्तियॉ तथा ग्राम पंचायत की स्थायी समितियॉ, पंचायत समिति की स्थायी समितियॉ एवं जिला परिषद की स्थाई समितियों के कार्य एवं शक्तियों के बारे मेंउल्लेख किया हुआ है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में 5–5 स्थाई समितियों का गठन किया गया है तथाउनके अधिकार भी तय किये गये है। अपीलाधीन आदेश स्थाई समिति, जिला परिषद द्वारा पारित नही किया जाकर, अतिरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर द्वारा पारित कियागया है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुननेका क्षेत्राधिकार नही है। अतः अपील क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपील वापस लौटाये जाने के आदेश दिनांक 14.09.2011 को पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध यह रिब्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थी हरगुन ने पेश किया है।

विद्वान वकील प्रार्थी का कथन है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जो आदेश पारित कियाहै वह राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97ए के तहत पारित किया गया है क्योंकि उनके समक्ष पंचायत समिति सेवर द्वारा पारित की गई आज्ञा के विरूद्ध अपील असल रैस्पो0 ने की थी इसलिये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे धारा 97ए के तहत प्रस्तुत की गई शक्तियों स्थाई प्रशासनिक समिति जिला परिषद को अनाधिकार चेष्टा करते हुए प्रयोग में लेते हुऐ आलोच्य आदेश पारित करदिया। चूॅकि सी0ओ0 को नियम 53 व 54 केतहत स्टेडिंग कमेटी द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना कराने की ही शक्तियॉ होती है। दूसरे शब्दो में सी0ओ जिला परिषद को यह अधिकार नही है कि वह स्थाई प्रशासनिक समिति या अन्य स्टेडिंग समिति शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ कोई आदेश पारित कर सके। उक्त नियम 53 व 54 में एसीओ जिला परिषद को किसी प्रकार की शक्तियॉ नही दी गई है। ऐसी स्थिति में एसीओ जिला परिषद द्वारा अनाधिकृत रूप से पंचायत समिति के फैसले के विरूद्ध विचाराधीन किसी भी अपील में निर्णय देने का क्षेत्राधिकार नही है यदि उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है तो उस आदेश की अपील माननीय न्यायालय में ही प्रस्तुत की जायेगी। जिसका सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को धारा 97 ए के तहत दिया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश एपेरेन्ट ऐरर ऑन दी पेस ऑफ दा रिकार्ड है। उनका तर्क है कि क्षेत्राधिकार के कानूनी बिन्दु का किसी प्रकार का कोई विवाद ही नही था और न ही इस पर किसी प्रकार की बहस हुई और न ही यह बिन्दु बहस के दौरान ही उठाया गया। एसीओ के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार श्रीमान को है। उनका तर्क है कि कानून में जिला परिषद के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार संभागीय आयुक्त को दिया गयाहै। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 05.03.07 को जो आदेश पारित किया था, वह प्रशासन स्थाई समिति जिला परिषद की हैसियत से पारित किया गया है। जिसकी अपील सुनने का अधिकार श्रीमान को है, अन्य किसी सक्षम न्यायालय को नही है। अतः रिब्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश न्यायालय श्रीमान निरस्त करते हुऐ अपील को पुनः नम्बर पर लेते हुऐ मैरिट पर निर्णय कियाजावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में अंकित किया है कि विद्वान वकील प्रार्थी ने यह कथन किया है कि न्यायालय हाजा ने अपील वापिस लौटाये जाने का आदेश प्रावधानों के विपरीत है जो अपरेन्ट ऐरर स्पष्ट रूप से झलकता है इसलिये जो आदेश दिनांक 05.03.07 को अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पारित किया है वह प्रशासन स्थाई समिति जिला परिषद की हैसियत से पारित किया गया है। जिसकी अपील सुनने का अधिकार श्रीमान जी को है। प्रार्थी का यह कथन उचित नही है। क्योंकि अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जो आदेश पारितकिया है, वह धारा 97ए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पारित नही किया है क्योंकि धारा 97ए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला परिषद को पंचायत समिति के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार हांसिल है। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्थाई समिति को अधिकार है। जबकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्थाई समिति का कोई आदेश दिनांक 05.03.2007 को पारित नही किया गया है। अगर स्थाई प्रशासनिक समिति जिला परिषद के अधिकरों को अनाधिकार चेष्ठा करते हुऐ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है तो उसकी अपील न्यायालय श्रीमान जी को नही होगी बल्कि ऐसे आदेश के विरूद्ध रिवीजन और रिब्यू सुनने का अधिकार राज्य सरकार को धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम केतहत प्राप्त है।इसलिये न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 14.09.2011 पूर्णतः विधि अनुसार पारित किया गया है। न्यायालय श्रीमान जी के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में रिब्यू प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई करने का कोई प्रावधान नही दिया गया है।

उन्होंने यह भी अंकित कियाहै कि क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर भी बहस न्यायालय में हुई थी। ऐसा नही है कि कोई प्रार्थना पत्र अलग से दिया जावे। सभी कानूनी बिन्दु एक साथ उठाये जा सकते हैं। इसलिये न्यायालय श्रीमान का आदेश सही है। यदि जिला परिषद प्रशासनिक समिति द्वारा कोई आदेश पारित कियाजाता है तो ही उसकी अपील धारा 97 क (2) के तहत अपील सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमानजी को है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कोई आदेश कानून के विपरीत है तो उसकी रिवीजन अथवा रिब्यू सुनने का अधिकार राज्य सकार को धारा 97 (3) में है।राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में रिब्यू करने की शक्तियां पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और न्यायालय श्रीमान को नही दी गई है। रिब्यू सुननेकी शक्तियां केवल राज्य सरकार को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 97 (3) के तहत प्राप्त हैं। उक्त रिब्यू प्रार्थना पत्र कानून के विपरीत प्रस्तुत किया है जो हर सूरत में मैन्टेनेविल नही है तथा काबिल खारिजी के है। न्यायालय श्रीमान के निर्णय में अपरेन्ट एरर ऑन फेस ऑफ रिकार्ड नही है। न्यायालय श्रीमान का आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं कानून के अनुरूप है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि रिब्यू का क्षेत्र बहुत सीमित है पुर्नविचार तभी होता है जबकि कोई भूल वगलती निर्णय में स्पष्ट प्रतीत होती हो। यदि गुणावगुण के आधार परकोई गलती बतायी जाती है तो वह उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अथवा रिट में चेलेन्ज की जा सकती है नकि रिब्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 2006एससीसी 78 में प्रतिपादित कियाहै। उनका तर्क है कि जिस बिन्दु पर दोनों पक्षों को पूर्ण रूपेण सुनकर विधि पूर्ण तरीके से निर्णित कर क्षेत्राधिकार के बाहर माना है उक्त निर्णय अपरेन्ट एन एरर ऑफ दी फेस नही माना जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में 2018(1)आरआरटी 147, 553, 2008 आरआरडी 769, 2005(1)आरआरटी 545 सुप्रीम कोर्ट, 2001 आरआरडी 89, 2010(3)डीएनजे1158 उच्च न्यायालय, 2011 आरबीजे 527 सुप्रीम कोर्ट पेश की।अतः उक्त कानूनी बिन्दुओं के आधार पर रिब्यू प्रार्थना पत्र खारिज कियाजावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2011 का अवलोकन किया। उक्त निर्णयमें किसी प्रकार की त्रुटि नजर नही आती है। नजरसानी का क्षेत्र बहुत सीमित है जिसमें अपील या निगरानी के रूप में पुनः विचार नही किया जा सकता है पुनर्विचार तभी होता है जबकि कोई भूल अथवा गलती निर्णय में स्पष्ट प्रतीत होती हो।प्रार्थी ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के आदेश दिनांक 05.03.2007 के विरूद्ध अपील पेश की थी। जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में 5--5 स्थाई समितियों का गठनकिया गयाहै तथाउनके अधिकार भी तय किये गये है। अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा पारित किया गया है। जबकि उक्त आदेश स्थाई समिति, जिला परिषद द्वारा पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2011 में अपरेन्ट एरर ऑन फेस ऑफ रिकार्ड नजर नही आता है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार नही है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत् है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थी का रिब्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का रिब्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 14.09.2011 यथावत रखा जाता है। अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने से सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिये लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official